



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 30.04.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा एक हत्यारोपी को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 22-03-2023 को अभियुक्त आशु उर्फ शहजाद पुत्र राजू निवासी फ्रीगंज रोड़ निराश्र समिति रेलवे पार्क थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ हालपता नामो निकाऊ थाना रंगपुरा जनपद सीनीतपुर (असम) द्वारा मुकदमा वादी की पुत्री की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 116/2023 धारा 363, 366, 376(3), 302 भादवि व 5जे(iv)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.05.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।
- आज दिनांक 30.05.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हापुड़ द्वारा आजीवन कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
- अभियोजन विभाग से श्री विजय कुमार चौहान (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री आशीष कुमार एवं पैरोकार म0का0 338 कुसुम व कोर्ट मोहरीर उ0नि0 श्री महीपाल का विशेष योगदान रहा ।

